सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIV/17

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,

ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली

दिनांक: 4 अगस्त, 2017

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय :- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों, निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों का 1.1.2017 से वेतन संशोधन – " कैफेटेरिया एप्रोच" के अंतर्गत दिए जाने वाले भत्तों से अन्य भत्तों पर निर्णय।**

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 3 अगस्त 2017 के इस विभाग के का. ज्ञा. सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी) के पैरा 8 एवं 10 का हवाला देने का निदेश हुआ है जो कि उसमें उल्लिखित भत्तों के संबंध में अलग दिशा-निर्देश जारी करने से संबंधित है। उचित विचार-विमर्श करने के पश्चात सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:

**(1) मकान किराया भत्ता**

(i) सीपीएसईज के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुरूप होगा।

| शहरों की श्रेणीकरण | एचआरए की दरें |
|---|---|
| X-श्रेणी (50 लाख और इससे ऊपर जनसंख्या) | मूल वेतन का 24% |
| Y-श्रेणी (5 – 50 लाख जनसंख्या ) | मूल वेतन का 16% |
| Z-श्रेणी (5 लाख से कम जनसंख्या) | मूल वेतन का 8% |

(ii) एचआरए की दरों को X, Y, Z के शहरों के लिए संशोधित कर के क्रमशः 27%, 18% और 9% किया जाएगा, जब आइडीए 25% से अधिक हो जाए और जब आइडीए 50% से अधिक हो जाएगा तो फिर से संशोधित कर 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा।

**(2) लीज्ड आवास**

(i) निदेशक मण्डल, विभिन्न स्तर के कार्यपालकों के लिए एक मानक ढंग से श्रेणीवार लीज़ किराया सीमा पर निर्णय लेंगे। लीज़ किराया सीमा की राशि का निर्णय एचआरए की राशि के साथ उसकी लिंकेज, एचआरए प्रयोजन के लिए शहरों के वर्गीकरण, कार्यपालकों के वेतनमान मकान किराया वसूली दर (एचआरआर) आदि को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

(ii) यदि कोई कार्यपालक अपने स्वयं के घर में रह रहा है तो सामान्यतया वह एचआरए के लिए पात्र होगा परंतु यदि उक्त घर स्वयं निवास के प्रयोजन हेतु लीज आवास के रूप में लिया गया है, लीज़ किराया सीमा (एचआरआर राशि को समायोजित करने के पश्चात) निवल लागू एचआरए राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) लीज्ड आवास के संबंध में एचआरआर निम्नलिखित दर अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो, के अनुसार होनी चाहिए

| शहरों का श्रेणीकरण | एचआरआर की दरें |
|---|---|
| X- श्रेणी | मूल वेतन का 7.5% |
| Y- श्रेणी | मूल वेतन का 5% |
| Z- श्रेणी | मूल वेतन का 2.5% |

(iv) सीपीएसईज द्वारा अपने स्वयं के टाउनशिप में आवास की व्यवस्था करने हेतु एचआरआर (X श्रेणी के शहरों के लिए) मूल वेतन का 7.5%/ (Y श्रेणी के शहरों के लिए) मूल वेतन का 5%/ (Z श्रेणी शहरों के लिए) मूल वेतन का 2.5%, अथवा सीपीएसईज द्वारा निर्धारित मानक किराया जो भी कम हो, होगा।

(3) **अन्य अनुलाभ/ भत्ते:** निम्नलिखित भत्ते "कैफेटेरिया एप्रोच" के अंतर्गत मूल वेतन के 35% की सीलिंग की सीमा क्षेत्र के बाहर होंगे

**(क) कार्य आधारित हार्डशिप ड्यूटी भत्ते:** कार्यपालकों/ असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए मूल वेतन के 12% तक कार्य आधारित हार्डशिप ड्यूटी भत्ते की अदायगी उस अवधि के लिए अनुमत्य होगी जिसमें उन्होंने निम्नलिखित हार्डशिप ड्यूटी में से किसी एक का वास्तविक रूप से निष्पादन किया हो।

i) भूमिगत खानों में ड्यूटी करने के लिए, और

ii) अपतटीय गवेषना स्थल पर ड्यूटी करने के लिए

**(ख) स्थल आधारित प्रतिपूर्ति भत्ता एवं गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे।**

2. दिनांक 3 अगस्त, 2017 के डीपीई का. ज्ञा. सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी) के पैरा 3 में यथा उल्लिखित बोर्ड स्तर के कार्यपालकों, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित वेतन पैकेज को लागू करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय भार का परिकलन दिनांक 3 अगस्त, 2017 के डीपीई का. ज्ञा. सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी) और भत्तों की अदायगी के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

3. इस कार्यालय ज्ञापन में विर्निदिष्ट भत्ते राष्ट्रपतिक निर्देश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

राजेश

(राजेश कुमार चौधरी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (सचिव के नाम से)
प्रतिलिपि सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालकों को।

प्रतिलिपि:

i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार

ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, 9, दीनदयाल मार्ग, नई दिल्ली

iii) व्यय विभाग, ई-V शाखा, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (सीपीसी वेतन 1), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

v) अध्यक्ष, पीईएसबी/सचिव, पीईएसबी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

i) प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री तरूण बजाज, अपर सचिव)

ii) मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री एस.ए.एम. रिज्वी, संयुक्त सचिव)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

i) मंत्री (भा.उ. एवं लो.उ.) के निजी सचिव

ii) राज्य मंत्री (भा.उ. एवं लो.उ.) के निजी सचिव

iii) सचिव, लोक उद्यम के निजी सचिव

iv) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (लोक उद्यम)

v) लोक उद्यम विभाग के सभी अधिकारी

vi) एनआईसी सेल, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(समसुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार